

वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर  
(विधि -अनुभाग )  
उत्तर प्रदेश  
लखनऊ :: दिनांक 13 सितम्बर, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर /  
समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)/  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

शासन तथा मुख्यालय स्तर से निर्गत विभिन्न निर्देशों की सभी को समुचित जानकारी के साथ-साथ इनका यथेष्ट क्रियान्वयन भी संभव हो सके तथा स्थानीय समस्याओं का भी समुचित निराकरण किया जा सके , साथ ही यदि कोई सम्यक सुझाव दिए जाते हैं तो उनसे मुख्यालय भी भिज्ञ हो सके , इसी उद्देश्य से यह निर्देश पूर्व में भी निर्गत किए गए हैं कि जोनल तथा सम्भागीय स्तर पर विभिन्न व्यापारिक संगठनों / संघों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जायें परन्तु विभिन्न जोन के निरीक्षण के समय यह तथ्य संज्ञान में आए हैं कि उक्त परिप्रेक्ष्य में अपेक्षानुरूप कार्यवाही नहीं की जा रही है । इसका परिणाम यह हो रहा है कि अधिकांश जोन तथा संभाग स्तर पर परस्पर संवादहीनता की स्थिति प्रतीत होती है ।

अतः कार्यहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि जोनल स्तर पर प्रत्येक माह विभिन्न जोनल एवं प्रदेश स्तर पर कार्यरत विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाए । यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ आयोजित बैठक में जोन में कार्यरत किसी भी एक प्रमुख ट्रेड के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रित किया जाए । इन बैठकों में अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ निम्न प्रमुख बिन्दुओं पर विशेष रूप से विचार विमर्श कर लिया जाए -

- (1) व्यापारी प्रतिनिधियों से व्यवस्था को सरल बनाने तथा अधिक राजस्व संग्रह की दृष्टि से सुझाव आमंत्रित किये जायें ।
- (2) व्यापारियों की सामूहिक समस्या हो तो इस पर भी विचार विमर्श किया जाये तथा इनका निदान किया जाये ।
- (3) शासन द्वारा निर्गत व्यापारियों से संबंधित निर्देश , उदाहरणार्थ शासन द्वारा निर्गत विभिन्न योजनायें, कर की दर में परिवर्तन आदि की विज्ञप्तियां , अधिनियम/नियमावली में परिवर्तन / अन्य शासनादेश तथा विज्ञप्तियाँ , जो समय-समय पर जारी की जाती हैं ।
- (4) मुख्यालय स्तर से जारी विभिन्न परिपत्र/निर्देश जो व्यापारियों से संबंधित हैं ।
- (5) मुख्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रक्रियात्मक बिन्दु जिनका अनुपालन व्यापारियों से कराया जाना अपेक्षित है ।
- (6) मुख्यालय के अन्य कोई तात्कालिक दिशा निर्देश , जिनका अनुपालन प्राथमिकता से कराया जाना अपेक्षित है ।

उक्तानुसार बैठकों के माध्यम से विचार विमर्श किये जाने से शासन तथा मुख्यालय स्तर से निर्गत विभिन्न योजनाओं तथा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में इन विभिन्न व्यापारिक संगठनों से न सिर्फ बेहतर संवाद की स्थिति स्थापित होगी अपितु इनकी समस्याओं तथा कठिनाइयों से भी भिज्ञ होने का सुअवसर

मिल सकेगा ताकि इनका यथेष्ट निराकरण किया जा सके । साथ ही ऐसे प्रस्ताव भी मुख्यालय संसूचित करना सुनिश्चित करें जिन पर विचार मुख्यालय तथा शासन स्तर से किया जाना अपेक्षित हो ।

यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि जहाँ के संभागीय कार्यालय जोनल कार्यालय से पृथक स्थानों पर कार्यरत हैं, वहाँ प्रत्येक माह संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा उपर्युक्तानुसार व्यापारिक संगठनों के साथ प्रतिमाह बैठकें आयोजित की जाए ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए ।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश